श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर की दिनांक 14 अगस्त 2025 को दोपहर 2.00 बजे आयोजित बैठक की कार्यवाही

दिनांक 14 अगस्त 2025 को श्रीमति प्रियंका वर्मा ,भा.प्र.से. ,उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त मन्दिर की अध्यक्षता मे अपराह्न 2.00बजे नाहन स्थित कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय विधायक श्री अजय सोलंकी जी तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ,नाहन शाखा के मुख्य प्रबन्धक श्री बसन्त नेगी विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। न्यास की बैठक में आमन्त्रित अधिकारियों सहित न्यास के सरकारी तथा गैर–सरकारी सदस्यों की उपस्थित रही जिनकी सूची संलग्न है। बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार प्रारम्भ की गई–

सर्वप्रथम श्री राजीव सांख्यान , हि.प्र.से.,एस.डी.एम.नाहन एवम् सयुंक्त आयुक्त,मन्दिर द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति उपरान्त सभी अधिकारियो तथा न्यासियों का अभिनन्दन किया गया तथा निम्नानुसार बैठक की कार्यवाही मदवार प्रारम्भ की गई–

क.स.	मद शीर्ष	चर्चा व निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी विभाग समय सीमा
1	न्यास की पूर्व बैठक की मदों बारे ।	संयुक्त आयुक्त (मन्दिर) एवम् एस.डी.एम.महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि न्यास की पूर्व बैठक दिनांक 07–02–2025 को हुई थी जिसकी अधिकतर मदों पर कार्यवाही कर दी गई थी। जिन मदों पर कार्यवाही लम्बित रही , उन्हे बैठक में निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया ।	
2	मन्दिर न्यास की वित्तीय स्थिति तथा वर्तमान वित्त वर्ष की आय व्यय स्थिति	बैठक में सहायक प्रबन्धक लेखा द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 11 अगस्त 2025 को मन्दिर न्यास के बैंक खातों **1,95,57,443** रु की प्रयोग योग्य राशि निम्नलिखित संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध है– Total in Bank a/c's including FDR's = 7,14,09,895/-Rs Less used in lieu of CC limit a/c (-) 5,18,52,452/-Rs **Net available amount = 1,95,57,443/-Rs.** एक करोड़ पचानवें लाख सतावन हजार चार सौ तैंतालीस मात्र, विवरण संलग्न ।	

SDM Nahan cum JC (Temple)
Commissioner (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)

1. संयुक्त आयुक्त [illegible] के निर्देशानुसार मन्दिर न्यास के सहायक प्रबन्धक,लेखा द्वारा अवगत करवाया गया कि 07.02.2025 को आयोजित पूर्व बैठक में न्यास द्वारा बीस करोड़ रु राशि का अनुमानित बजट हि.प्र.हिन्दू सार्वजिनक धार्मिक संस्थान एवम् पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 के प्रावधानों अनुसार अनुमोदित किया गया था तथा वर्तमान वित्त वर्ष में 01 अप्रैल 2025 से 11 अगस्त 2025 तक 4 माह 11 दिन की अवधि में कुल 6,44,71,224 रु की प्राप्तियॉं रहीं है तथा 5,39,35,971रु की राशि व्यय हुई है। विस्तृत विवरण संलग्न। अध्यक्ष महोदया को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त वर्णित समस्त आय–व्यय के विस्तृत विवरण की प्रतियॉं उपस्थित न्यासियों को भी उपलब्ध करवा दी गई हैं।

यह भी अवगत करवाया गया कि मन्दिर न्यास की मासिक आय लगभग एक करोड़ रु के लगभग रहती है जिसमें से मासिक अनिवार्य खर्च के रुप में लगभग 78 लाख रु प्रतिमाह आवश्यक होते हैं जिनका विस्तृत विवरण संलग्न अनुसार वर्तमान दायित्वों सहित प्रस्तुत किया गया।

2. संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा सूचित किया गया कि मन्दिर न्यास के पास विदेशी मुद्रा पंजीकरण न होने के कारण वर्ष 2019 से 2025 तक की विदेशी मुद्रा संलग्न सूची अनुसार डबल लॉक में रखी गई है। उक्त विदेशी मुद्रा को एस.बी.आई नाहन में जमा करवाया जाना है जिस हेतु चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ,नाहन के मुख्य प्रबन्धक महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि इस कार्य हेतु गृह मंत्रालय की विशेष स्वीकृति सहित प्रोफेशन चार्टड अकाउटेंट के माध्यम से विदेशी मुद्रा पंजीकरण सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही की जानी आवश्यक है जिसके उपरान्त ही यह खाता एस.बी.आई में खोला जा सकता है।

उक्त मद पर चर्चा उपरान्त यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि विदेशी मुद्रा पंजीकरण कार्य हेतु स्थानीय चार्टड अकाउटेंट के माध्यम से शीघ्र अति शीघ्र आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा न्यास की ओर से मन्दिर अधिकारी एवम् तहसीलदार नाहन को प्राधिकृत किया गया।

SDM Nahan cum JC(Temple)
Joint ... (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)

		3. संयुक्त आयुक्त मन्दिर न्यास द्वारा सूचित किया गया कि गत चैत्र नवरात्र मेला 2025 में मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर की **https://maabalasundarijitrust.com** website स्थापित कर दी गई है जिसमें माता के मुख्य मन्दिर में माता के लाईव दर्शन, डोनेशन, ऑनलाईन कक्ष आरक्षण/भण्डारा आदि का प्रावधान है। ऑनलाईन दान तथा वैबसाईट के संचालन के दृष्टिगत न्यास की ओर से वैबसाईट सम्बन्धित वांछित के0वाई0सी0 के लिए मन्दिर अधिकारी एवम् तहसीलदार तथा सहायक प्रबन्धक लेखा तथा सहायक अभियंता न्यास को प्राधिकृत करना प्रस्तावित किया गया जो कि न्यास की ओर से अभिलेख तथा वैबसाईट संचालन आदि कार्यों हेतु प्राधिकृत होंगें। उक्त प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।	
3	मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर का वित्त वर्ष 2024–25 का चार्टेड अकाउटेंट द्वारा आडिट व आयकर रिर्टन जमा बारे।	संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा अवगत करवाया गया कि वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त आय व्यय का अन्तरिम आडिट स्थानीय चार्टड अकाउटेंट से करवाया जा रहा है तथा विस्तृत रिर्पोट प्राप्त होने के बाद आयुक्त महोदया के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। आयकर रिटर्न मैसर्ज के.एम.अग्रवाल एसोसिएट्स तथा एडवोकेट श्री मदन लाल झाम्वा जी के माध्यम से निर्धारित अवधि अक्टूबर माह से पूर्व भर दी जाएगी।	
4	नए भण्डारा कॉम्पलेक्स की स्थापना	सहायक अभियंता न्यास द्वारा अवगत करवाया गया कि त्रिलोकपुर स्थित डियुटि मैजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित भूमि पर सार्वजनिक भण्डारा कॉम्पलैक्स का कार्य लगभग अन्तिम चरण पर है। मेलों के दौरान 15 दिनों हेतु इस कॉम्पलेक्स का प्रयोग भण्डारों हेतु किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त भण्डारा कॉम्पलैक्स वर्षभर अन्य कार्यो जैसे विवाह समारोह आदि हेतु किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही उक्त भवन के साथ सार्वजनिक सुविधा हेतु शौचालयों का निर्माण भी करवाया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त मद पर विस्तृत चर्चा की गई । अध्यक्ष महोदया के परामर्श अनुसार भण्डारा शैड के साथ शौचालयों का निर्माण कार्य बी.डी.ओ. नाहन से प्राकलन अनुसार राशि प्राप्ति उपरान्त न्यास द्वारा निष्पादित करवाने का निर्णय लिया गया। माननीय विधायक महोदय द्वारा परामर्श दिया गया कि नए भण्डारा कक्ष का प्रयोग केवल भण्डारों में 30 दिन के लिए होता है अतः इसे सार्वजनिक हित में बहुप्रयोगीय विवाह उत्सवों आदि सुसज्जित किया जाए जिसमें सिलिंग तथा वातानुकूलन का भी प्रावधान रखा जाए। चर्चा उपरान्त प्रस्ताव के अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि नए भण्डारा काम्पलेक्स का शेष कार्य नवम्बर 2025 तक पूरा करवाने का प्रयास किया जाए।	

SDM Nahan cum JC (Temple)
Joint Commissioner (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)

5	कैनोपी शैड विस्तार कार्य	संयुक्त आयुक्त [illegible] के निर्देशानुसार सहायक अभियंता मन्दिर न्यास ई0 विजय पाल सिंह द्वारा निम्नानुसार अवगत करवाया गया – 1. न्यास को सूचित किया गया कि त्रिलोकपुर में मुख्य मार्ग पर कैनोपी शैड का विस्तार कार्य प्रगति पर है। प्रथम चरण में 7 लाख 67 हजार रु अनुमोदन आयुक्त महोदय द्वारा दिया गया है जो कि लगभग पूरा हो चुका है तथा कैनोपी शीटें लगवाई जानी शेष हैं जिस हेतु प्राकलन तैयार किया गया है व आयुक्त महोदया के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। यह भी सूचित किया गया कि यह कार्य जनहित में पूर्व स्थापित कैनोपी शैड के विस्तार में मन्दिर की पुरानी सराय तक किया जा रहा है जिसके अंतर्गत एम.एस.पाईप स्थापित करवाने का ढांचा स्थापित किया जा चुका है। 2. यह भी अवगत करवाया गया कि त्रिलोकपुर में मुख्य मन्दिर के सामने बाजार स्थित बाजार गेट से मुख्य मन्दिर द्वार तक कैनोपी शैड स्थापना का कार्य प्रारम्भ करवाया जाना शेष है जिस गलियों के निर्माण कार्य लम्बित होने के कारण नही किया जा सका है। 3. कैनोपी शैड के ऊपर बिजली लाईन एनकेसिंग कार्य प्रस्तावित किया गया । उक्त मद बारे विस्तृत चर्चा के दौरान बैठक में हि.प्र.राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से उपस्थित अधिशासी अभियंता द्वारा आशवासन दिया गया कि उनके विभाग की ओर से यह कार्य करवा दिया जाएगा , इसके अतिरिक्त मुख्य मन्दिर परिसर के चारों ओर भी यदि न्यास द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाए तो उनके विभाग द्वारा बिजली की लाईनों को अन्डग्राउण्ड करने का कार्य किया जा सकता है। इस संदर्भ में बैठक में विशेष अतिथि के तौर पर आमन्त्रित माननीय विधायक महोदय द्वारा यह कार्य जनहित में करवाने की सिफारिश सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया। सर्व सम्मति से चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि हि.प्र.राज्य विद्युत बोर्ड को कैनोपी शैड के ऊपर बिजली लाईन एनकेसिंग कार्य हेतु पत्राचार सहित मुख्य मन्दिर परिसर के चारों बिजली की लाईनों को अन्डग्राउण्ड करने हेतु एन.ओ.सी. सम्बन्धित वांछित कार्यवाही अविलम्ब की जाए।	

Joint Commissioner (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)
SDM Nahan cum JC (Temple)

6	मन्दिर न्यास के अधीनस्थ स्वामित्व की भूमि हेतु मास्टर प्लान तैयार करने बारे प्रस्ताव।	एस.डी.एम. एवम् संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा अवगत कि मन्दिर न्यास के अधीनस्थ स्वामित्व की भूमि का डिजिटल सर्वे करवाया जा चुका है जिस पर 99,120/-रु व्यय हुआ है तथा आर्किटेक्ट के माध्यम से मास्टर प्लान तैयार का कार्य अभी लम्बित है। अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया गया कि गत बैठक 07 फरवरी 2025 में यह कार्य हिमाचल शैली पर शिमला स्थित आर्किटेक्ट से करने बारे चर्चा की गई थी जो कि कुल लागत का 2.50 प्रतिशत फीस के रुप में चार्ज करते है। उक्त मद पर स्वीकृति उपरान्त सहायक अभियंता महोदय द्वारा सूचित किया गया कि मन्दिर में पधारे एक दानी सज्जन जो कि प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हैं के द्वारा मन्दिर धर्माथ कार्यो के कारण निःशुल्क सेवांए देने की सहमति दी है। चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिए गए कि उक्त आर्किटेक्ट के साथ शीघ्र बैठक आयोजित की जाए जिसमें उनके द्वारा आर्किटेक्ट सम्बन्धित कार्य के अनुभव सहित त्रिलोकपुर में प्रस्तावित मास्टर प्लान बारे चर्चा की जाएगी।	
7	शिव मन्दिर व तालाब का सौन्दर्यकरण प्रस्तावित।	एस.डी.एम. एवम् संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा अवगत कि शिव मन्दिर व तालाब का सौन्दर्यकरण का कार्य लम्बित है। अध्यक्ष महोदया के ध्यानार्थ सूचित किया गया कि त्रिलोकपुर में पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुए शिव मन्दिर व तालाब का सौन्दर्यकरण के अर्न्तगत नौकायान ,तालाब की सफाई तथा विद्युतीकरण आदि कार्य का प्रस्ताव रखा जाएगा।	
8	शिव मन्दिर तालाब के साथ स्थापित शौचालय का परिवर्ततन कर अन्य कार्य में प्रयोग का प्रस्तावत	त्रिलोकपुर में शिव मन्दिर स्थित के साथ लगते शौचालय को सुलभ शौचालयों के कर्मचारियों से खाली करवा दिया गया है तथा शौचालय के वापसी हेतु पर्यटन विभाग से पत्राचार जारी है ।	
9	मन्दिर न्यास की पुरानी सराय बारे	संयुक्त आयुक्त [illegible] द्वारा अध्यक्ष महोदया को अवगत करवाया गया कि त्रिलोकपुर स्थित मन्दिर परिसर के बाहर जाने के मार्ग के साथ पुरानी सराय का जीर्ण शीर्ण अवस्था में है जिसका निर्माण कार्य वर्ष 65 वर्ष पूर्व किया गया था। उक्त भवन की जीर्ण– शीर्ण जर्जर अवस्था के कन्डमनेशन बोर्ड गठित किया गया था जिसके द्वारा वांछित कार्यवाही की जानी शेष है। उक्त प्रकरण में यह भी अवगत करवाया गया कि पुरानी सराय को हटाने के बाद मन्दिर परिसर का बहुत अच्छा विस्तार किया जा सकता है जिसे मास्टर प्लॉन में शामिल किया जाएगा। उक्त मद पर चर्चा के दौरान माननीय विधायक महोदय द्वारा	

JSDM Nahan cum JC (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		मन्दिर परिसर विस्तार कार्य को जनहित में अति आवश्यक व प्रशसंनीय कार्य कहा गया तथा शीघ्र करवाने का अनुरोध किया गया। चर्चा उपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदन सहित वांछित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।	
10	मन्दिर गर्भ गृह में चांदी के पत्रे लगवाने का शेष कार्य ।	संयुक्त आयुक्त [illegible] द्वारा न्यासियों को अवगत करवाया गया कि मन्दिर न्यास के पास वर्तमान में लगभग 29 क्विंटल चांदी तथा 18 किलोग्राम स्वर्ण सामग्री दृढ़ कक्ष डबल लॉक में जमा है जिसकी 24 घण्टे सुरक्षा हेतु 1–4 की गार्द सहित 15 गृह रक्षक तीन शिफ्टों में तैनात रहते हैं। 1. अध्यक्ष महोदया को अवगत करवाया गया कि गत बैठक में मन्दिर गर्भ गृह के ऊपरी भाग में चांदी के पत्रे लगाने बारे चर्चा की गई थी तथा इस मद बारे पुनः चर्चा की जानी आवश्यक है चुंकि गत एक वर्ष से मन्दिर गर्भ गृह की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक प्रवेश गर्भ गृह में वर्जित है। वर्तमान में गर्भ गृह में 10 फुट तक दिवारों में चांदी के पत्रों को स्थापित करवाया गया है तथा चांदी के पत्रों को ऊपरी भाग में लगाने से गुम्बद के अन्दरुनी भाग पर जोर पड़ सकता है तथा न ही इसकी सफाई सुनिश्चत हो सकेगी। अतः मन्दिर के सौन्दर्यकरण के दृष्टिगत गर्भगृह के बाहर की दिवार पर चांदी के पत्रे लगवाने का कार्य प्रस्तावित किया गया। उपरोक्त प्रस्ताव का सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि हि.प्र.हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम् पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 के प्रावधानों अनुसार गठित समिति के माध्यम से यह कार्य करवाया जाए तथा कार्य निष्पादन से पूर्व मुख्य आयुक्त मन्दिर से बैठक के प्रस्ताव सहित आगामी कार्य करने का अनुमोदन लिया जाए। 2. सयुक्त आयुक्त [illegible] द्वारा बैठक में उपस्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के मुख्य प्रबन्धक को अनुरोध किया गया कि वह Gold Monetization Scheme के बारे में न्यास को अवगत करवाएं। उक्त मद बारे श्री बसन्त नेगी, मुख्य प्रबन्धक द्वारा अवगत करवाया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में केवल स्टेट बैंक का उक्त स्कीम हेतु प्राधिकृत किया गया है जिसके तहत सबसे समीप पंजाब स्थित लुधियाना	

SDM Nahan cum-JC (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)

		में प्राधिकृत वैण्डर है। न्यास के पास जमा स्वर्ण सामग्री को वैण्डर द्वारा न्यास तथा बैंकर्स सदस्य सहित गठित समिति से लिया जाएगा तथा यथा निर्धारित ब्याज वर्ष के अन्त में 31 मार्च को देय होगा जोकि वर्तमान में 0.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। चर्चा की गई कि यदि 18 किलोग्रम स्वर्ण सामग्री उपरोक्त स्कीम में स्टेट बैंक को दी जाती है तो प्रतिवर्ष 9 लाख रु लगभग आय सम्भावित है। उक्त मद बारे चर्चा उपरान्त सैद्धान्तिक अनुमोदन सहित आगामी प्रकिया तथा वांछित कार्यवाही हेतु न्यास की ओर से एस.डी.एम.नाहन को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया जो कि उपरोक्त स्कीम तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु मामला मा.आयुक्त महोदया के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।	
11	त्रिलोकपुर में 13 बीघा भूमि कय बारे	एस.डी.एम. [illegible] द्वारा अवगत करवाया गया कि कि ग्राम त्रिलोकपुर के स्थानीय ग्रामवासी श्री धनबीर सिंह द्वारा भूमि विकय का प्रस्ताव रखा गया है जोकि मन्दिर के पिछली ओर स्थित आयु.डिस्पेसंरी से बाईपास मार्ग पर स्थित शमशानघाट के सामने लगभग 10बीघा भूमि है। गत मेलों में वाहनों की पार्किंग हेतु उक्त भूमि का प्रयोग श्रेयस्कर रहा है अतः यदि उचित हो तो मन्दिर न्यास द्वारा इसे सार्वजनिक हित में खरीदा जा सकता है उक्त मद बारे विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि के राजस्व अभिलेख सहित एस0डी0एम0 नाहन की अध्यक्षता में तहसीलदार नाहन, सहायक प्रबन्धक, लेखा तथा दो गैर सरकारी सदस्य शामिल कर एक नेगोशिएशन कमेटी गठित की जाये जो उपरोक्त भूमि कय हेतु भू स्वामी से नेगोशिएशन करेगी तथा मामला आयुक्त महोदया के समक्ष रखेगी। चुंकि यह मामला मुख्य आयुक्त मन्दिर की सीमा में है अतः नेगोशिएशन कमेटी की सिफारिशों सहित अन्तिम अनुमोदन हेतु मामला भाषा,कला एवम् संस्कृति विभाग से अनुमोदन हेतु भी भेजने बारे निर्णय लिया गया।	
12	त्रिलोकपुर स्थित हिमुडा से कय की गई भूमि में पशुपालन डिसपेन्सरी निर्माण कार्य	सहायक अभियंता न्यास द्वारा सूचित किया गया कि त्रिलोकपुर स्थित हिमुडा भूमि में पशुपालन डिसपेन्सरी निर्माण कार्य अन्तिम चरण पर है यह भी अवगत करवाया गया कि वर्तमान में उक्त विभाग की अस्थाई डिसपेंसरी को कैफेटेरिया भवन में चलाया रहा है जिसे नए भवन निर्माण उपरान्त खाली करने के बाद उक्त कैफेटेरिया भवन का अन्य कार्य हेतु मामला माननीय आयुक्त महोदय के समक्ष रखा जाएगा।	

Joi... (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)
SDM Nahan cum JC (Temple)

13	कर्मचारियों से जुड़े मामले ।	1. एस.डी.एम. [illegible] एवम् संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा अवगत करवाया गया कि मन्दिर न्यास में वर्तमान में 72 कर्मचारी नियमित आधार पर कार्यरत हैं। उक्त कर्मचारियों की सेवानिवृत के पश्चात पेंशन योजना हेतु जीवन बीमा निगम शिमला से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार Corpus Fund रखना प्रस्तावित किया गया जिसमें कुछ अंश कर्मचारियों का तथा कुछ अंश न्यास द्वारा जमा किया जाएगा। यह भी सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश स्थित अन्य मन्दिर न्यासों जैसे बाबा बालक नाथ व श्री नैना देवी जी मन्दिर न्यास से पत्राचार किया जा रहा है तथा मामला उपायुक्त कार्यालय के सी.पी.ओ. महोदय के पास भेजा गया है। उक्त प्रस्ताव को सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि सी. पी.ओ. महोदय तथा प्रदेश के अन्य मन्दिर न्यासों में लागू पैंशन स्कीम बारे अध्ययन उपरान्त मामला माननीय आयुक्त महोदया के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। 2. यह भी प्रस्ताव रखा गया कि न्यास से वर्ष 2016 से 2022 तक सेवानिवृत कर्मचारियों को नए संशोधित वेतनमानों का लाभ प्रदान किया जाए। उक्त प्रस्ताव के सैद्धान्तिक अनुमोदन सहित मामला सम्पूर्ण दायित्व की गणना सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए ।	
14	ग्राम त्रिलोकपुर में निर्माण कार्यो गैर सरकारी न्यासियों द्वारा सहित प्रस्तावों बारे।	एस.डी.एम. [illegible] द्वारा अवगत करवाया गया कि गैर सरकारी न्यासियों द्वारा न्यास के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु रखे हैं– 1. त्रिलोकपुर स्थित ग्राम बुडडियों की गलियों की मुरम्मत का कार्य तथा ड्रेन व चार सोलर लाईटें लगवाने बारे प्रस्ताव रखा गया है। 2. सीरीवाला तथा ओगलवाला ग्राम हेतु पुलिया निर्माण बारे जिसमें सहायक अभियंता से चर्चा अनुसार प्रति कार्य लगभग दस से बारह लाख रु व्यय सम्भावित होगा। 3. जल शक्ति विभाग द्वारा ग्राम वासियों हेतु प्रस्तुत सीवरेज कनेक्शन के लिए 6 लाख रु का प्राकलन अनुमोदनार्थ ताकि मुख्य गली पक्की करवाई जा सके जिस पर पुनर्निर्माण हेतु लगभाग दस लाख रु व्यय होगा।	

Joint Commissioner (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)
SDM Nahan cum JC (Temple)

		4. भद्देपार गांव हेतु पुलिया का निर्माण जिस पर सहायक अभियंता से चर्चा अनुसार लगभग 12 लाख रु व्यय सम्भावित होगा। उपरोक्त प्रस्तावों बारे विस्तृत चर्चा उपरान्त सैद्धान्तिक तौर पर जनहित व ग्राम विकास शीर्ष में न्यास द्वारा स्वयम् करवाने का अनुमोदन दिया गया तथा कार्यवार प्राकलन तैयार कर आयुक्त महोदया के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रस्तावों में मुख्य मन्दिर से जुड़े राजपरिवार व राज पुरोहित को स्थायी पहचान पत्र जारी करने बारे सहमति दी गई । सूचित किया गया कि मेलों के अतिरिक्त मन्दिर प्रवेश में किसी प्रकार की बाधा नही आती तदापि गैर सरकारी न्यासियों की मांग अनुसार मुख्य मन्दिर से जुड़े राजपरिवार आदि को पहचान पत्र जारी कर दिए जाएगें। इसके अतिरिक्त यात्रियों के दर्शनों हेतु बड़े मन्दिरों की तरह चार –2 लाईनों में दर्शनों का प्रावधान करवाने बारे विस्तृत चर्चा बैठक में उपस्थित माननीय विधायक महोदय द्वारा परामर्श दिया गया कि मन्दिर में एक साथ चार लाईनों में यात्रियों को दर्शनों के लिए प्रवेश करवाना व्यवहारिक प्रतीत नही हो रहा चुंकि एक साथ चार लाईनों में कोई भी सहजता से माता के दर्शन नही कर सकेगा तथा दान राशि तथा यात्रियों का प्रसाद भी नही लगाया जा सकेगा। तदापि मौका निरीक्षण कर दो लाईनों में यात्रियों का प्रवेश सहित अध्ययन की जा सकती है। उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि सहायक अभियंता न्यास , मन्दिर अधिकारी सहित दो गैर सरकारी न्यासियों सहित मौका निरीक्षण कर विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत करे ।	
15	छछरोली स्थित भूमि लीज पर देने बारे	एस.डी.एम. [illegible] द्वारा अवगत करवाया गया कि हरियाणा में जिला यमुनानगर स्थित ग्राम छछरोली में स्थित भूमि 10–7 कनाल भूमि को आगामी दस वर्षो लीज पर देने का प्रस्ताव है। यह भूमि मन्दिर को दानी सज्जन द्वारा दान में दी गई थी। उक्त भूमि को लीज पर देने हेतु मन्दिर अधिकारी की अध्यक्षता में जिला भाषा अधिकारी, सहायक प्रबन्धक मन्दिर तथा दो गैर सरकारी न्यासियों की समिति प्रस्तावित है जो कि हि.प्र. हिन्दु धार्मिक संस्थान एवम् पूर्त विन्यास अधिनियम 1984	

Joint Commissioner (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)

SDM Nahan cum JC (Temple)

		के प्रावधानों सहित मामला प्रस्तुत करेंगें। यह भी सूचित किया गया कि गत वर्षों में उपरोक्त भूमि विकास पर लगभग बीस लाख रु से अधिक राशि व्यय की जा चुकी है जिसमें चार दिवारी तथा बोरवैल आदि कार्य शामिल हैं। भूमि पर भविष्य में अनाधिकृत कब्जों को रोकने के आशय से 10 वर्षों हेतु लीज पर दिया जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा आगामी मामले हेतु संयुक्त आयुक्त मन्दिर को प्राधिकृत करनें का निर्णय लिया गया जोकि समस्त कार्यवाही उपरान्त मामला अन्तिम अनुमोदन हेतु आयुक्त महोदया के समक्ष रखेंगें।	
16	त्रिलोकपुर स्थित जल सेवा से आगे एक जैसी समरुपता में स्थायी दुकानों के निर्माण बारे।	एस.डी.एम. एवम् संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा त्रिलोकपुर स्थित जल सेवा से आगे एक जैसी समरुपता में स्थायी दुकानों के निर्माण बारे प्रस्ताव रखा गया। उक्त मद बारे सैद्धान्तिक अनुमोदन सहित आगामी कार्यवाही हेतु मामला आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	
17	त्रिलोकपुर में भागवद् सप्ताह /देवी भागवत का कार्य प्रस्तावित	एस.डी.एम. एवम् संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा त्रिलोकपुर में भागवद् सप्ताह /देवी भागवत /रामकथा आदि का अध्यात्मिक कार्यों का प्रस्ताव रखा गया जिसे चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यों हेतु मन्दिर प्रबन्धक प्रभारी द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार में आवश्यक अध्यात्मिक कार्यों को निरन्तर रखा जाए तथा समय–2 पर यथा आवश्यक कार्यक्रमों के प्रस्ताव संयुक्त आयुक्त मन्दिर के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएं।	
18	न्यास की हिमुडा भूमि में खडड की तरफ रिटेनिंग वॉल लगवाने बारे	सहायक अभियंता मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा सूचित किया गया कि हिमुडा से क्रय की गई भूमि जो कि बरसाती खडड के साथ लगती है की सुरक्षा हेतु तुरन्त रिटेनिंग वॉल लगवाने का कार्य प्रस्तावित है चुंकि उक्त भूमि पर गत माह में लगातार वर्षा के कारण कटाव हो गया है। उक्त मद बारे एस.डी.एम. एवम् संयुक्त आयुक्त मन्दिर ने अवगत करवाया कि चूंकि इस 86 बीघा भूमि काफी बडा ऐरिया है अतः तहसीलदार नाहन एवं मन्दिर अधिकारी को निर्देश दिए गए कि राजस्व कागजात तैयार करवाकर इस भूमि की निशानदेही करवाने उपरान्त फेंसिंग भी करवाई जाये। सैद्धान्तिक अनुमोदन सहित तुरन्त आवश्यक कार्य का प्राकलन आगामी कार्यवाही हेतु मामला आयुक्त महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया गया।	

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)
SDM Nahan cum JC (Temple)

19	त्रिलोकपुर में बाजार की तरफ से मन्दिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक रास्ता बनाने बारे	सहायक अभियंता मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा प्रस्तावित किया गया कि यात्रियों हेतु बाजार गेट से मुख्य मन्दिर गेट तक सडक की मुरम्मत का कार्य अति आवश्यक है क्योंकि जल शक्ति विभाग द्वारा सिवरेज लाईनों के कारण यह मार्ग काफी खराब हो चुका है। उक्त प्रस्ताव बारे विस्तृत चर्चा की गई तथा गैर सरकारी सदस्य श्री दलबीर सिंह द्वारा अवगत करवाया गया कि जल शक्ति विभाग द्वारा सड़क पर सीवरेज कनेक्शनों के चैम्बर के कारण सड़क निर्माण नही हो पा रहा है। बैठक में उपस्थित जल शक्ति विभाग के अधि.अभियंता के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा सीवरेज कनेक्शन नही लिए जा रहे हैं जिसके कारण कार्य लम्बित है। उक्त मद बारे चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि मन्दिर परिसर के चारों ओर तथा बाजार से मन्दिर गेट तक सीवरेज कनेशनों पर आवश्यक व्यय की रिर्पोट सहित मामला आयुक्त महोदया के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जल शक्ति विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा सूचित किया गया कि सीनीय ग्राम त्रिलोकपुर के निवासियों द्वारा सीवरेज पाईप कनैक्शन नहीं लिए जा रहे हैं जिसके कारण यह योजना बाधित है । चर्चा के दौरान सूचित किया गया कि पूर्व बैठकों में प्रति कनैक्शन 500/—रूपये अनुसार न्यास द्वारा देने की स्वीकृति दी गई थी जिस हेतु 200 कनैक्शनों की राशि ग्राम पंचायत को देय तहबाजारी अंश से स्रोत्र पर काट कर रखी गई थी किन्तु अब यह राशि मु02500/—रू0 से अधिक व प्रति कनैक्शन बताई गई है । एक घर में यदि 2–3 प्वाईट हैं तो उसके अनुपात में दायित्व बनता है । सहायक अभियन्ता, जल शक्ति विभाग द्वारा सम्पूर्ण ग्राम में सुचारू रूप से सीवरेज पाईप लाईन कनैक्शन के लिए लगभग पन्द्रह लाख रूपये व्यय अवगत करवाया गया है । उक्त मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त अध्यक्ष ने नगर योजनाकार नाहन व सदस्य सचिव, Special Area Development Authority, त्रिलोकपुर से उक्त खर्चे को वहन करने का अनुरोध किया। इस आश्य हेतु उन्होंने सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकार करने हेतु उन्होनें मामलो को नस्ति पर उपायुक्त सिरमौर को प्रस्तुत करने बारे आश्वस्त किया । जिसे बैठक में उपस्थित माननीय विधायक सहित समस्त न्यासियों द्वारा इस सराहनीय कदम की प्रशंसा की गई । निर्देश दिए गए कि इस आश्य हेतु जल शक्ति विभाग शीघ्र प्रावलन तैयार कर प्रस्तुत करके सदस्य सचिव, साडा, त्रिलोकपुर को धनराशि की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगें ।	

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)
SDM Nahan cum JC (Temple)

20	न्यास को श्रद्धालु द्वारा दान में दी जा रही मोबाईल भण्डारा वैन बारे।	एस.डी.एम. नाहन एवम् संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा सूचित किया गया कि एक दानी सज्जन द्वारा मन्दिर न्यास हेतु एक मोबाईल भण्डारा वैन दान स्वरुप दी गई है। यह फूड वैन अस्पताल, अनाथालयों व अन्य जरूरत के स्थानों पर या यदि कोई व्यक्ति मन्दिर से भण्डारा बनवाकर अपने घर या कार्यस्थल पर भण्डारा देना चाहता है तो इस हेतु प्रयोग में लाई जायेगी। इस वैन हेतु आउट सोर्स/होमगार्ड से एक चालक भरने व दो सौ व्यक्तियों के खाने तथा आने–जाने के खर्च सहित (मन्दिर से 25कि0मी0 की दूरी तक) मु017,500/–रू0 (सत्रह हजार पांच सौ रूपये) प्रभारित/निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया। उक्त मद बारे विस्तार से चर्चा की गई। माननीय विधायक महोदय द्वारा सम्बोधन किया गया कि जनहित में पुण्यार्थ कार्यो की श्रृंखला में प्रशंसनीय प्रयास है व दानी सज्जन भी प्रशंसा का पात्र है। उक्त प्रस्ताव के सैद्धान्तिक अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि उपरोक्त पुण्यार्थ कार्य हेतु सर्वप्रथम एक चालक को आउटसोर्स आधार पर तथा दो कर्मचारियों को न्यास की ओर से तैनात किया जाए।	
21	बसों के मुडने का स्थान पानीपत सराय के पास से किसी अन्य जगह करने बारे ।	बैठक में अवगत करवाया गया कि त्रिलोकपुर आने वाली सरकारी बसें मन्दिर की पुरानी सराय के पास से वापिस मुड़ती हैं और वहां जगह कम होने के कारण त्रिलोकपुर पंहुचने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है, अतः बसों का मुडने का स्थान कहीं ओर करवाने बारे प्रस्ताव रखा गया। उक्त मद बारे बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच.आर.टी.सी द्वारा से अनुरोध किया गया कि वह त्रिलोकपुर स्थित आयु0डिस्पेंसरी के साथ स्थित निजि भूमि का निरीक्षण करें तथा निजि बस वाहनों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।	
22	माँ बालासुन्दरी जी गौशाला को दी जाने वाली राशि	बैठक में अवगत करवाया गया कि न्यास द्वारा वर्ष 2007 से नाहन स्थित बालासुन्दरी जी गौशाला संचालन के लिए एस.पी.सी.ए. नाहन के साथ एग्रीमेंट अनुसार 75000रु की मासिक राशि चारा व रखरखाव कार्य हेतु दिया जाता है जिसे बढ़ाकर 1,00,000रु करने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदया द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा भी गौशाला का दौरा किया गया था। उक्त गौशाला में लगभग 100 गऊएं हैं जिनके पालन पोषण हेतु मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर से यह राशि दी जाती रही है। चर्चा उपरान्त उक्त प्रस्ताव का एग्रीमेंट के नवीनीकरण करने का	

SDM-Nahan cum JC (Temple)
Joint Commissioner (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)

		अनुमोदन किया गया । माननीय विधायक महोदय द्वारा सूचित किया गया कि उन्के द्वारा भी गौशाला में दौरा किया गया था तथा गौशाला में रखी गऊओं के रखरखाव की स्थिति चिंताजनक है, अतः इस हेतु एस.पी.सी.ए. द्वारा विशेष कदम उठाए जाएं। त्रिलोकपुर में गौशाला बारे भी विस्तार से चर्चा की गई , माननीय विधायक महोदय तथा गैर सरकारी न्यासियों द्वारा अनुरोध किया गया कि एक गौशाला की स्थापना त्रिलोकपुर ग्राम की जाए जिस हेतु मन्दिर न्यास द्वारा कय की गई 23 बीघा भूमि उपलब्ध है। उक्त नई गौशाला से त्रिलोकपुर मन्दिर की भण्डारा हेतु प्रतिदिन आवश्यक मांग की पूर्ति भी सहज हो सकेगी। उक्त कार्य का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया तथा तुरन्त आवश्यक कार्य हेतु प्राकलन बारे सहायक अभियंता न्यास को निर्देश दिए गए।	
23	न्यास में सहायक नियन्त्रक वित्त के पद सृजन बारे।	एस.डी.एम. एवम् संयुक्त आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि भाषा,कला एवम् संस्कृति विभाग शिमला द्वारा मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर हेतु सहायक नियन्त्रक वित्त के पद सृजन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। उक्त पद पर सरकारी विभाग से अधिकारी तैनात करने हेतु पत्राचार किया जाना है। यह भी सूचित किया गया कि उक्त पद पर तैनात अधिकारी का वेतन आदि व्यय न्यास द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तहसीलदार नाहन एवम् मन्दिर अधिकारी को दी गई डी. डी.ओ. /वित्त शक्तियॉ भी नए तैनात अधिकारी को देने का प्रस्ताव रखा गया । उक्त मद पर सर्वसम्मति से अनुमोदन सहित आगामी कार्यवाही अविलम्ब करने के निर्देश दिए गए तथा डी.डी.ओ. शक्तियों को सहायक नियन्त्रक, वित्त में निहित करने हेतु मुख्य आयुक्त मन्दिर , भाषा ,कला एवम् संस्कृति विभाग स्थित शिमला को अनुरोध करने का निर्णय भी लिया गया ।	
24	अन्य	1. बैठक में उपस्थित गैर सरकारी न्यासी प्रधान ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर द्वारा पंचायती राज अधिनियम के तहत तथा पूर्व निर्णय अनुसार चैत्र मेला 2025 की तहबाजारी जारी करने का अनुरोध किया गया ।	

SDM Nahan cum JC (Temple) (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		इस संदर्भ में संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा अवगत करवाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा चैत्र मेला 2025 में अपने स्वामित्व की भूमि पर अस्थाई दुकानों से किराए की राशि प्राप्त की गई है तथा यह तह बाजारी की श्रेणी में नही आती तदापि ग्राम विकास कार्यों में न्यास द्वारा ग्राम स्थित बरसाती नाले में लगभग 10 लाख रु केट स्थापना का कार्य करवाया जा चुका है इसके अतिरिक्त आज की बैठक में मद संख्या 14 द्वारा भी ग्राम त्रिलोकपुर में निर्माण एवम् विकास कार्यों को न्यास की ओर से करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। माननीय विधायक महोदय द्वारा परामर्श दिया गया कि तह बाजारी की कुल राशि से सफाई व पेयजल का व्यय घटाने के बाद जो राशि बचती है उस राशि से ग्राम त्रिलोकपुर में पंचायत की मांग अनुसार कार्य निष्पादित करवाए जाएं। उक्त प्रकिया भविष्य में एक स्थायी मानक के रुप में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।	
		2. मन्दिर अधिकारी एवम् तहसीलदार नाहन द्वारा प्रस्तावित किया गया कि नाहन स्थित नरसिंह भगवान का मन्दिर, मियां का मन्दिर/परशुराम मन्दिर तथा नौनी का बाग स्थित मन्दिर में तुरन्त आवश्यक मुरम्मत व रखरखाव का कार्य करवाया जाना है जो कि गत माह से निरन्तर वर्षा के कारण बहुत आवश्यक है। इस आशय हेतु चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यों के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया जाए तथा सहायक अभियंता न्यास को सम्बन्धित कार्यों के प्राकलन शीघ्र अति शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।	

बैठक के अन्त में माननीय विधायक महोदय द्वारा सम्बोधन किया गया कि न्यास द्वारा प्रस्तावित समस्त कार्य तीर्थ स्थल त्रिलोकपुर हेतु जन हित में श्रेष्ठ प्रयास है। उन्के द्वारा अनुरोध किया गया कि वर्षा से प्रभावित होने के कारण त्रिलोकपुर में विभिन्न स्थानों पर तुरन्त आवश्यक ढ़ंगा,पुलिया तथा अन्य मुरम्मत व रखरखाव के जो निर्णय लिए गए हैं उन्हें समयबद्ध व प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाए तथा सभी गैर सरकारी न्यासियों को भी बैठक में उपस्थित रहने हेतु अनुरोध किया गया जिनकी सहभागिता से विकास कार्यों हेतु निर्णय लिए जा सकते हैं। यह भी चर्चा की गई कि गत दो वर्षों से न्यास की आय में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई है जिस हेतु मन्दिर में तैनात ई० विजय पाल सहायक अभियंता व उन्की टीम बधाई की पात्र है।

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)
SDM Nahan cum JC (Temple)

अध्यक्ष महोदया द्वारा समस्त न्यासियों का बैठक में उपस्थित होने हेतु आभार व्यक्त किया गया तथा अनुरोध किया गया कि सभी मदों पर बिन्दुवार गहन चर्चा की गई है तदापि न्यास द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की ओर अधिक समीक्षा की जाए तथा न्यास की आय स्त्रोत बढ़ाने हेतु प्रयास किया जाए। न्यास द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उन्हे समय रहते पूरा करवा दिया जाए।

(प्रियंका वर्मा)भा.प्र.से.
उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त
मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर ।
DC Sirmour-Cum-Commissioner Trilokpur Temple Trust
दिनांक 26-08-2025

कमांक –स.आ. / त्रि.म.न्यास / वार्षिक बैठक– / 2025 2188
प्रतिलिपि सेवा में,
1.मुख्य आयुक्त मन्दिर भाषा,कला एवम् संस्कृति विभाग स्थित शिमला,हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2.निदेशक एवम् अतिरिक्त मुख्य आयुक्त मन्दिर, भाषा,कला एवम् संस्कृति विभाग शिमला को सूचनार्थ प्रेषित।
3.एस.डी.एम.नाहन एवम् सहायक आयुक्त मन्दिर व समस्त न्यासियों व अधिकारियों को सूचनार्थ व यथानिर्णय अनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
4.तहसीलदार नाहन मन्दिर अधिकारी को सूचनार्थ व अनुपालनार्थ प्रेषित।
5.सहायक अभियंता मन्दिर न्यास , सहायक प्रबन्धक,लेखा व मन्दिर , कनिष्ठ अभियंता को अनुपालनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त
मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर ।
DC Sirmour-Cum-Commissioner Trilokpur Temple Trust